

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनैन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:..... नि०/रोजगार ऋण-03-67/22

पटना दिनांक:

स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में में राज्य सम्पौषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2020-2021 एवं 2021-2022 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पत्रांक-131 दिनांक-15.07.2022 से चयनित लघु ऋण क्र०सं 1-2 आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा खगड़िया जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निष्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्र०सं	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing+ Imboss Charge	Net Payable Amount
1.	5	IMRAN KHAN, S/o- RABBAN KHAN, Vill.-SALIM NAGAR, Block-GOGARI, PS+ PO-MAHESHKOOT, Distt.-KHAGARIA-851213, Mob:- 9102336592	A/c No.:- 701102010000571 UBIN0570177	GOAT AND FISHERIES	100000	500 + 2030 = 2530	97470
2.	11	IMRAN KHAN, S/o- MOIN KHAN, Vill.-MUSKIPUR (MAHTAB NAGAR), Block+, PS-GOGARI, PO-JAMALPUR, Distt.-KHAGARIA-851203, Mob:- 7039951961	A/c No.:- 300502011012367 ,UBIN0530051	ELECTRONIC DUKAN	100000	500 + 2030 = 2530	97470
TOTAL					200000	5060	194940

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पतियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 10-05-2023

ज्ञापक:- 1160

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । आपके द्वारा जॉचोपरान्त निगम को प्रेषित 02 दस्तावेज / अभिलेख पर ऋण की स्वीकृति दी गई है । भविष्य में दस्तावेज/ अभिलेख में किसी भी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेदारी आपकी होगी। ऋण शाखा/ ऋण शाखा (कम्प्यूटरसेल)/ लेखा शाखा/ प्रमण्डलीय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस भेजने हेतु सूची प्रेषित।

सहायक निदेशक